बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01 / बजट–यो०–41 / 2025– पटना, दिनांक– जून, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

विषय : **मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य भुगतान हेतु कुल राशि मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये मात्र का आंवटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–117 स्वी० / सी॰सी॰ दिनांक–29.05.2025 द्वारा मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य का भुगतान हेतु कुल राशि मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये का स्वीकृति दी गयी है।

2. उक्त निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये का आवंटन जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को किया जाता है।

3. विहित प्रक्रिया अन्तर्गत जाँचोपरान्त संबंधित कृषकों को बकाये ईख मूल्य देय राशि का भुगतान DBT/RTGS/Electronic Transfer के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा। स्वीकृत्यादेश संख्या–117 स्वी० / सी॰सी॰ दिनांक–29.05.2025 में निहित शर्तो / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. यह राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45–2852082010103 अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कोषागार, सीतामढ़ी से राशि की निकासी कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित की जायेगी।

6. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

7. आवंटनादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह० / –
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–41 / 2025– पटना, दिनांक– जून, 2025

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
ईखायुक्त, बिहार।

क्रमशः......2

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–41 / 2025– पटना, दिनांक– जून, 2025

प्रतिलिपि–ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / महाप्रबंधक, मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–41 / 2025– 06 / बजट पटना, दिनांक– 26 जून, 2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार / संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय / सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / रेगुलेटरी शाखा / लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/6/2025

ईखायुक्त, बिहार।